न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 101/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 9.8.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

कुन्तेष पत्नी रामहेतार जाति धाकड निवासी खेडली मीरा तहसील खानपुर जिला झालावाड।

... अपीलार्थी

बनाम

1. अर्चना जोशी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी बागेर तहसील खानपुर जिला झालावाड।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी

:::निर्णय:::

दिनांक 8.5.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पत्रावली संख्या 583/दावा/2016 बउनवान अर्चना जोशी बनाम कुन्तेश वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 20.5.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम और धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि वादिया/प्रार्थीया ने 15 वर्ष पूर्व खसरा नम्बर 344/990 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बागेर तहसील खानपुर की आराजी कन्हैयालाल पुत्र देवलाल धाकड से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसके आधार पर आराजी वादिया/प्रार्थिया के खाते मे दर्ज हो गयी। प्रतिवादी/अप्रार्थीगण ने भी ख0 नं0 344/1054 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा आराजी क्रय की थी किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने गलती के कारण नक्शा ट्रेस गलत तरमीम हो गया। वादिया/प्रार्थिया के कब्जे के स्थान पर कुन्तेष और कुन्तेष के कब्जे के स्थान पर वादिया का नक्शाट्रेस कर दिया गया। अतः वाद/प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया और प्रतिवादीया का नक्शाट्रेस कब्जे के अनुसार तरमीम किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया/प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 20.5.2016 को डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट कुन्तेष द्वारा अपील धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय मे पेश की गई। जिसे माननीय न्यायालय ने मेन्टेनेबल नही होने के कारण सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु लौटाने का दिनांक 17.4.2017 को आदेश पारित किये जाने पर अपीलांट द्वारा अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर अपील मे कथन किया कि दावे मे दिनांक 2.3.2016 की तारीख नियत की गई थी दिनांक 2.3.2016 को अपीलांट के अभिभाषक ने मीमो पेश किया जिस पर दिनांक 21.3.2016 तारीख नियत की गई। दिनांक 21.3.2016 को 16.5.2016 की तारीख नियत की गई और कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करते हुये दिनांक 2.5.2016 को पत्रावली पेशी पर लेकर दिनांक 20.5.2016 को डिक्री पारित कर दी गई। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे कोई जवाब दावा पेश नही किया ना ही अपीलांट के जवाब दावे पर हस्ताक्षर है। पीठासीन अधिकारी के भी प्रजेन्टेशन के हस्ताक्षर नही है। जवाबदावे मे तारीख भी अंकित नही है, अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी आदेशिका मे जवाबदावा पेश करने का हवाला नही है वादी की साक्ष्य नही ली गई नक्शे मे तरमीम की

आवश्यकता नही है। पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलांट दिनांक 20.5.2016 को कैम्प मे नही गये थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानते हुये, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एक पक्षीय सुनी गई।

3 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलार्थी एक पक्षीय पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र बावत जेर अपील निर्णय/डिक्री दिनांक 20.5.2016 की जानकारी दिनांक 21.11.2016 को होना वर्णित करते हुये विलम्ब अवधि क्षम्य कर अपील को अवधि मध्य माने जाने बावत पेश किया गया। प्रकरण मे रेस्पो0 बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। पत्रावली मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो के खण्डन/प्रतिउत्तर मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

4 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय अर्चना जोशी बनाम कुन्तेश वगेरा वाद अन्तर्गत धारा 88 काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एलआरएक्ट मे उपखण्ड अधिकारी खानपुर द्वारा दिनांक 20.5.2016 को केम्प–हरीगढ मे पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 3.2.2016 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त दिनांक को वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी हेतु प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी 24.2.2016 नियत की गई व दिनांक 24.2.2016 को 2.3.2016 तथा 2.3.2016 को 21.3.2016 एंव 21.3.2016 को 16.5.2016 मुर्करर की गई किन्तु उक्त नियत तिथी से पूर्व ही बिना किसी न्यायोचित विधिक प्रकिया के पत्रावली को दिनांक 2.5.2016 को पेशी पर लेकर वकुलाय फरीकेन उपस्थित होना आदेशिका मे वर्णित करते हुये प्रकरण को लोक अदालत केम्प हरीगढ मे सुनवाई हेतु 20.5.2016 तिथी नियत कर डिक्री पारित की गई। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट के इस तर्क की पुष्टि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अमल मे लाये, कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करते हुये दिनांक 2.5.2016 को पत्रावली पेशी पर लेकर दिनांक 20.5.2016 को एक पक्षीय रूप से डिक्री पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क है कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे कोई जवाब दावा पेश नही किया ना ही अपीलांट के जवाब दावे पर हस्ताक्षर है। पीठासीन अधिकारी के भी प्रजेन्टेशन के हस्ताक्षर नही है। जवाबदावे मे तारीख भी अंकित नही है, अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी आदेशिका मे जवाबदावा पेश करने का हवाला नही है। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि आदेशिका एवं पत्रावली मे उपलब्ध जवाब दावे के अवलोकन से होती है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। उक्त विवेचन अनुसार जेरअपील निर्णय दिनांक 20.5.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

5 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्याया0 उपखण्ड अधिकारी खनपुर द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 20.5.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के बिन्दू सं0 4 मे विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 8.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा